परि.शि.०८-अ

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

फायर ब्रिगेड, श्यामला हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 0755–2701221

क्रमांक............../फा०ब्रि०/2016 भोपाल, दिनांक ..../2016

//फायर ब्रिगेड शाखा में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आग बुझाने या अन्य आपदा से निपटने के लिये समस्त फायर वाहनों एवं समस्त फायर सब स्टेशनों पर उपलब्ध सेफ्टी उपकरण/आवश्यक सामग्री की सूची//

क्र.	सामग्री का नाग	क्र.	सामग्री का नाम
1	होज पाईप	23	सीलिंग हूक
2	होज रील	24	बी.ए. सेट कम्प्रेसर
3	फोम ब्रांचेस	25	स्ट्रेचर
4	फोम कम्पाउण्ड	26	नेट
5	फायर एस्टिंग्यूसर्स	27	रिंचेस एण्ड स्पेनरर्स
6	ब्रीथिंग आपरेटस	28	फायर प्रॉक्सिसिमिटी सूट
7	फायर सूट	29	ग्लब्स
8	डायविंग सूट	30	अडाप्टर
9	सेफ्टी जेकेट	31	हेलमेट
10	सर्च लाईट	32	जैक मय टॉमी
11	डी–वाटर पम्प	33	लेडर
12	फेस मॉस्क	34	लाउड हेलर
13	सॉ–कटर	35	पचा
14	गैस कटर	36	लॉक कटर
15	हाईड्रोलिक कटर	37	फायरमैन एक्स
16	रोप्स	38	जनरेटर
17	बैल्चा	39	फायर टेंडर
18	गमबूट	40	टैंकर्स
19	घन	41	हाईड्रोलिक प्लेटफार्म
20	सब्बल	42	रैस्क्यू वैन
21	फावड़ा	43	फायर मोटर साइकिल
22	फ्लोटिंग पंप		

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

एल.एस. बघेल
अधीक्षण यंत्री

फायर आफिसर
नगर निगम भोपाल

जानेवाले या किये गये अपराध की कोई भी जानकारी, जिसे वह प्राप्त करे, अवि[illegible]ग्रहित करे; तथा

(२) इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किसी नियम या उपविधि के अधीन निगम में या किसी निगम पदाधिकारी या सेवक में वेष्टित किसी भी शक्ति का विधिपूर्ण प्रयोग करने के लिये उसकी सहायता की उचित रूप से मांग करनेवाले किसी भी निगम पदाधिकारी या सेवक को सहायता पहुचाये .

(३) निगम का कोई भी पदाधिकारी या सेवक, जब शासन की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा ऐसा करने के लिये सशक्त किया गया हो, इस अधिनियम के ऐसे आशयों के लिये आरक्षी पदाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो कि आज्ञा में निर्दिष्ट की जावें .

३४८. **आरक्षी की अपराधियों को बन्दी करने की शक्ति** .---(१) कोई भी आरक्षी पदाधिकारी व आरक्षी पदाधिकारी की अनुपस्थिति में धारा ३४७ की उपधारा (३) के अधीन शासन की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस संबंध में शक्ति प्राप्त निगम का कोई भी पदाधिकारी या सेवक किसी भी व्यकि को, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम या उपविधि के विरुद्ध अपराध करे, बन्दी बना सकेगा –

(अ) यदि उसे ऐसे व्यक्ति का नाम और पता ज्ञात न हो ; तथा

(आ) यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता न बतलाये या दियं गये नाम और पते की यथार्थता के संबंध में संदेह करने का कारण हो .

(२) इस धारा के अधीन बन्दी बनाया गया कोई भी व्यक्ति उस समय तक निरुद्ध रखा जा सकता है जब तक कि उसके नाम और पते का यथार्थतः निश्चय न हो जाय:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार बन्दी बनाये गये किसी भी व्यक्ति को, जब तक कि उसके निरोध के लिये मजिस्ट्रेट की आज्ञा प्राप्त न कर ली गई हो,ऐसे काल से अधिक के लिये निरुद्ध नहीं रखा जायगा, जो उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने के लिये आवश्यक है.

३४९. **आयुक्त की मांग पर किसी व्यक्ति को बन्दी बनाने के लिये जिला अधीक्षक की शक्ति** .— आयुक्त की लिखित मांग पर, जिला आरक्षी अधीक्षक किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने की आज्ञा देगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि द्वारा आरोपित किसी कर्त्तव्यपालन में लगे हुए किसी भी निगम पदाधिकारी या सेवक के कार्य में बाधा उपस्थित करे.

३५०. **मेलों आदि में आरक्षी-रक्षण**.— जब निगम द्वारा प्रबन्धित किसी मेले, कृषि-प्रदर्शनी या औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर [1][या प्लेग अथवा अन्य महामारी के कारण खाली हुए गृहों की रक्षा करने के आशय के लिये] शासन के मत में, विशेष आरक्षी-रक्षण आवश्यक हो तो शासन ऐसे रक्षण की व्यवस्था करेगा और निगम उसके व्ययों या उनके ऐसे अंश का जैसा कि शासन न्याय-सम्मत समझे, भुगतान करेगा .

उन्तीसवां अध्याय- अग्नि को रोकना या बुझाना

३५१. **अग्निशामक दल का रखा जाना तथा अग्नि को रोकने व बुझाने के लिये प्रबन्ध** .---(१) निगम अग्नि के रोकने तथा बुझाने के लिये एक अग्निशामक दल रखेगा तथा ऐसे उपकरणों, यंत्रों या संवहन साधनों की व्यवस्था करेगा जैसा कि निगम अग्निशामक दल की कार्य-कुशलता के लिये आवश्यक समझे .

(२) अग्नि बुझानेवाले मुख्य नलों तथा पानी के बम्बों की स्थिति को बतलाने के लिये आयुक्त किसी भी भवन या भूमि पर तख्तियां लगाने, चिन्हों को छापने या उपकरणों को लगाने के लिये जैसा कि वह उचित समझे, निर्देश देगा .

(३) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी तख्ती, चिन्ह या उपकरण को न तो नष्ट करेगा, न गिरायेगा, न विरूपित करेगा, न ढंकेगा और न छिपायेगा :

१ मध्यप्रदेस अधिनियम क्रमांक १३ सन् १९६१ की धारा ३(२) द्वारा प्रतिस्थापित

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

परिशिष्ट-ब

[illegible]य नगर पालिक निगम भोपाल

[illegible]ा अतारांकित प्रश्न क्रं. 5012 के संबंध में

सब फायर आफीसर का प्रशिक्षण प्राप्त नियमित कर्मचारियों की सूची

क्रं.	नाम	संस्था का नाम जहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है	प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष	वर्तमान में कहां पदस्थ है	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	श्री इफ्तेखार खां	राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर	05.04.1990	फायर ब्रिगेड फतेहगढ़ एवं बैरागढ़ सब फायर स्टेशन पर प्रभारी सहायक फायर आफीसर	
2.	श्री अख्तर अली	राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर	13.11.1990	सब फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड पुलबोगद्दा, प्रभारी सहायक फायर आफीसर	
3.	श्री साजिद मो. खान	नेशनल फायर इंस्ट्टीयूट बड़ौदरा, गुजरात	2000	सब फायर स्टेशन, माता मंदिर (निगम पेट्रोल पम्प) में प्रभारी सहायक फायर आफीसर एवं स्वच्छता प्रभारी, जोन क्रं. 06	
4.	श्री राकेश शर्मा	नेशनल फायर अकाडमी बड़ोदरा गुजरात	08.08.2005	गोविन्दपुरा सब फायर स्टेशन, प्रभारी सहायक फायर आफीसर एवं प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, जोन क्रं. 12 एवं 13	
5.	श्री रामेश्वर नील	राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर	21.07.2014	फायर ब्रिगेड, सब फायर स्टेशन छोला, प्रभारी सहायक फायर आफीसर	

उपायुक्त (स्था.)
नगर निगम, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

एल.एस. बघेल
अधीक्षण यंत्री